न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :–	संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :–	83/2009
दायर दिनांक :–	15.10.2009
निर्णय दिनांक :–	09.12.2022

उनवान

1. कल्लूखां पुत्र सन्नूखां जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला नागोरियान दौसा।
2. नूरमोहम्मद पुत्र सन्नूखां जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला नागोरियान दौसा।
3. मोहम्मद इसलाम पुत्र सन्नूखां जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला नागोरियान दौसा।
4. मोहम्मद अहसान पुत्र सन्नूखां जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला नागोरियान दौसा।
5. जहां आरा उर्फ निक्की पुत्री मोहम्मद इसलाम जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला नागोरियान दौसा।
6. मु0 मोबिना बेवा शकीलखां जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला नागोरियान दौसा।
7. मोहम्मद हारून पुत्र शकीलखां जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला नागोरियान दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ईश्वरदयाल पुत्र श्योबक्स लाल जाति बैरवा निवासी बी 1104 शास्त्री नगर नई दिल्ली।
2. रामसिंह पुत्र ईश्वरदयाल जाति बैरवा निवासी बी 1104 शास्त्री नगर नई दिल्ली।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 83/2009

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयान नम्बर 1 लगायत 4 के पिता, प्रार्थी नम्बर 5 व 7 के प्रपिता एवं प्रार्थी संख्या 6 के ससुर व उसके भाई सरदारखां व भाई के लडके गनीखां पुत्र अब्दुल रजाक, अब्दुल वाजिद, अब्दुल माजिद पि0 हाफिन मुनीरखां की संयुक्त खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 480 रकबा 56 बीघा 6 बिस्वा हाल सैटलमेन्ट में दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड रहा है। सैटलमेन्ट पूर्व प्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 के पिता व सह–खातेदारान के बीच में वैधानिक रूप से तकास्मा होने पर खसरा नमबर 480/3 दर्ज सीट पटवारी हल्का गिरदावर हल्का द्वारा रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज करते हुए पत्रावली को सैटलमेन्ट विभाग भेज दी गई। सैटलमेन्ट के दौ[illegible]यान के हक में खसरा नम्बर 1140 लगायत 1148 रकबा 1.35 है0 दर्ज [illegible] पर्चा खतौनी जारी की गई। खसरा नम्बर 1148 को मौके एवं रिकार्ड से भिन्न [illegible] कर्मचारी अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.11 है0 अशुद्ध प्रार्थीगण के हक [illegible]कारों के विरूद्ध अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 के हक में दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड कर दिया है। हाल रेवेन्यू रिकार्ड में अप्रार्थी नम्बर 1, 2 के नाम ख0 नं0 1149 का अशुद्ध अंकन हो जाने से प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं धारा 3 एस.सी.

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:49:04 IST
Reason: SelfAttested

लगातार ....2....

एस.टी. एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहे है। इस ही कदर खसरा नम्बर 1151 व 1152 प्रार्थीगण के पूर्व के सह–खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 1153, 1154 को दबाकर अप्रार्थी नम्बर 1, 2 के हक में आरपार उत्तर–दक्षिण कायम कर दिए गये जिसके विरूद्ध डॉ0 अब्दुल रजाक बनाम सरकार उनवानी प्रकरण लम्बित है। साबिक खसरा नम्बर 468 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा भूमि का क्रय खातेदार कालू वल्द कालेखा से अप्रार्थी नम्बर 1, 2 द्वारा किया गया है। कालूखा व प्रार्थी संख्या 1, 2 द्वारा अपने खेतों के मध्य में खाम डोल बजमाने बुजुर्गान बना रखी है एवं उसी जगह पर ही प्रार्थीयान काश्त करते आते है। अप्रार्थी नम्बर 1, 2 के हक में जारी नवीन पर्चा खतौनी में 45 एयर अधिक का पर्चा अशुद्ध जारी किया गया है, जो हाल खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.10 है0 व खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.19 है0 कुल 40 एयर भूमि को हजफ करते हुए अप्रार्थी नम्बर 1, 2 के हक में अधिक रकबे का पर्चा जारी कर दिया, जबकि साबिक रिकार्ड के मुताबिक 8.21 है0 का पर्चा अप्रार्थीयान नम्बर 1, 2 के हक में जारी होना चाहिए था, जिसके बजाय 8.66 है0 का अशुद्ध पर्चा कायम किया है, जो साबिक रकबे से 45 एयर अधिक का पर्चा रेवेन्यू रिकार्ड से प्रमाणित हो रहा है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त भूमि प्रार्थीयान के रकबे से कम कर अप्रार्थीयान के रकबे में शामिल कर दिये जाने से व अशुद्ध रेवेन्यू रिकार्ड हो जाने के कारण अप्रार्थीयान नम्बर 1, 2 आराजी को रहन बय अन्तरण करने, नामान्तरकरण खुलवाने तथा प्रार्थीयान के कब्जे काश्त में दखल देने को उत्पन्न हो रहे है। जिससे प्रार्थीयान के अधिकारों को अपूर्णीय क्षति की सूरत पैदा हो गई है। सैटलमेन्ट की गलती के कारण अप्रार्थी नम्बर 1, 2 ने प्रार्थीयान के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली दौसा में दिनांक 01.10.2009 को एक रिपोर्ट धारा 447 ता0 हि0 व धारा 3 एस सी एस टी एक्ट अन्तर्गत दर्ज करा दी है। उक्त तथ्यों से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस स्पष्ट प्रमाणित है। सुविधा की तुला भी प्रार्थीगण के हक में है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी नम्बर 1, 2 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करे कि वे भूमि खसरा नम्बर 1149 वाके दौसा के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग प्रार्थीयान में दखल नहीं करे, आराजी को रहन बय अन्तरण नहीं करे, रहन बय अन्तरण का कोई प्रलेख का पंजीयन नहीं करावे तथा आराजी का नामान्तरकरण नहीं खुलवावे। अप्रार्थी नम्बर 3 को पाबन्द करे कि वे राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीयान ने उनवानी वाद पत्र व प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों व आधारों पर पेश किया है। अप्रार्थीयान नम्बर 1, 2 की भूमि में प्रार्थीगण की कोई भूमि दबी हुई नहीं है, बल्कि प्रार्थीयान अप्रार्थी नम्बर 1, 2 की जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद शुदा एवं तीस पैंतीस वर्ष से कब्जे व स्वामित्व की खसरा नम्बर 1149, 1151 व 1152 को जबरन हडपना चाहते है। प्रार्थीयान ने कभी भी इस भूमि का सीमाज्ञान नहीं कराया है, ना ही इस संबंध में पटवारी अथवा गिरदावर की कोई रिपोर्ट है। अतः बिना सीमाज्ञान कराये व बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट लिये यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि मन अप्रार्थीयान की भूमि में प्रार्थीगण की कोई भूमि दबी हुई है। मन अप्रार्थीयान ने भूमि खसरा नम्बर 1149, 1151 व 1152 जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है और खरीद के समय से ही लगभग 35 साल से मन अप्रार्थी नम्बर 1, 2 अपनी 34 बीघा 17 बिस्वा जमीन पर काबिज है, जिसका मन अप्रार्थीयान ने दिनांक 10.09.1991 को अपनी उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया है। उक्त

लगातार ....3....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:49:04 IST
Reason: SelfAttested

सीमाज्ञान के आधार पर ही मन अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर काबिज है। उक्त सीमाज्ञान पर पडोसी खातेदार जिनमें प्रार्थीयान भी थे, ने हस्ताक्षर नहीं किये एवं वर्तमान में जमीन की बढती कीमत को देखकर अप्रार्थीयान की जमीन को जबरन हडपने की नियत से उक्त झूंठे मुकदमें कर रहे हैं, जो मियाद बाहर है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज करें।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में उल्लेखित बातों को दोहराया गया तथा कथन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थीगण की ओर से भी उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित बातों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैः–

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला :–</u> पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी गांव दौसा कलां सम्वत् 2060 से 2063 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.1100 है0 ईश्वर दयाल पुत्र श्योबक्सलाल, रामसिंह पुत्र ईश्वरदयाल कौम बैरवा के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने उनकी भूमि सैटलमेन्ट के दौरान कम किया जाना अंकित किया है, लेकिन यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी कितनी भूमि कम होकर कौनसे खसरा नम्बर में बढी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की आराजी का रकबा बढना बताया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि अप्रार्थीगण के रकबे में किस प्रकार वृद्धि हुई है। चूँकि प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।
2. <u>सुविधा का संतुलन :–</u> प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.1100 है0 के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि उनके नाम अथवा कब्जे में रही है। प्रार्थीगण अपना पक्ष साबित करने मे विफल रहे हैं। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नहीं होता है।
3. <u>अपूर्णीय क्षतिः–</u> प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। अतः प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है।

आराजी खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.1100 है0 अप्रार्थीगण ईश्वर दयाल पुत्र श्योबक्सलाल, रामसिंह पुत्र ईश्वरदयाल कौम बैरवा के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:49:04 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा